

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in

website:www.bsmfc.org)

संख्या:...../नि०/राज्य/रोजगार ऋण/03-18/19

पटना / दिनांक:

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत स्वीकृत्यादेश संख्या-1126 दिनांक-28.06.2021 क्रमांक-06 पर अंकित किराना शॉप ट्रेड के लिए ₹ 2,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। बैंक मर्ज हो जाने के कारण आई०एफ०एस०सी चेंज हो गया, जिसके कारण राशि ऋणार्थी के खाते में अंतरित नहीं हो सका। ऋणार्थी के द्वारा आवेदन में नया पासबुक की छायाप्रति जमा किया गया है, जिसमें बैंक अकाउंट नम्बर के साथ आई०एफ०एस०सी मौजूद है। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चयन सूची क्रमांक	AppI_Name / F/H_Name & Address	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	खाता संख्या एवं नया आई०एफ०एस०सी	Less 0.5% + Imboss Processing Charge	Net Payable Amount
1.	89/ 849	MOHASIN REZA, S/o-FAZLE HAQUE, Vill.-KHODA NAGAR, Block + PO -MOTIHARI, PS-CHHITAUNA, Distt.-EAST CHAMPARAN-845401, Mob:- 8789361424	A/c No.:- 50034674286 ALLA0210557	A/c No.:- 50034674286 IDIB000M753	1000 + 2030 = 3030	196970
				TOTAL	2,00,000	3,030
						1,96,970

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापक:- 544

दिनांक: 15/02/22

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ

एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस/ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित।

प्रबंध निदेशक